संख्या- 27/11/2011-एस.आर.एस.
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली ।
दिनांक 27 सितम्बर, 2011

सेवा में,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ ।

मुख्य सचिव,
उत्तरांचल सरकार,
देहरादून ।

विषयः चिकित्सकीय/वास्तविक व्यथा से सम्बन्धित प्रकरणों पर राज्य परामर्शी समिति की दिनांक 15, जून 2011 को आयोजित बैठक में विचार ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य परामर्शी समिति की दिनांक 15 जून, 2011 को आयोजित बैठक में विचारोपरांत समिति ने संलग्नक में उल्लिखित कार्मिकों के अभ्यावेदनों को चिकित्सकीय/वास्तविक व्यथा दिशा-निदेशों से आच्छादित न होने के कारण अस्वीकृत करने की संस्तुति की है ।

समिति द्वारा इन मामलों में जो संस्तुतियाँ की गईं उन्हें भारत सरकार द्वारा वास्तविक/चिकित्सकीय व्यथा के अन्तर्गत मान लिया गया है । संलग्नक में उल्लिखित कार्मिकों को उत्तराखंड राज्य में बनाये रखे जाने का निर्णय लिया गया है ।

कृपया संबंधित अधिकारियों को इन निर्णयों से अवगत करवा दिया जाए ।

भवदीय

(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपिः-

1. श्री राजेन्द्र मोहन श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, 8-ए, नवीन भवन, सचिवालय, लखनऊ ।
2. प्रमुख सचिव, उत्तराखंड पुनर्गठन समन्वय विभाग, देहरादून।

संलग्नक 04 कार्मिकों की सूची

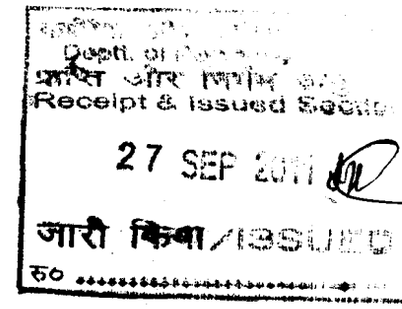

माध्यमिक शिक्षा विभाग

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम, पदनाम व तैनाती	प्रत्यावेदन में अंकित बीमारी	नियुक्ति तिथि	राज्य चिकित्सा परिषद की संस्तुति	समिति की संस्तुति
1	2	3	5	10	11
1	श्री अजय कुमार पाण्डेय, प्रवक्ता, राजकीय इण्टर कॉलेज, ओखलकाण्डा, नैनीताल, उत्तराखण्ड।	माता मानसिक रोग से ग्रस्त	18.02. 1991 तदर्थ	राज्य चिकित्सा परिषद की आख्यानुसार श्रीमती जयरानी पाण्डेय, माता श्री अजय कुमार पाण्डेय केस ऑफ पारकिन्सनजम विद सेलेब्रल टाक्सिया विद पैरापेरेसिस हैं। इन्हें पारिवारिक सहयोग की सलाह दी गयी है।	बैठक में उपस्थित चिकित्साधिकारी के मतानुसार प्रश्नगत बीमारी पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 सपठित अधिसूचना दिनॉक 06 मार्च, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा प्रकरण को अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गई।
2	श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, प्रवक्ता, भूगोल, राजकीय इन्टर कालेज, चाफी, नैनीताल, उत्तराखण्ड।	पिता मानसिक रोग से ग्रस्त	26.10. 1988	राज्य चिकित्सा परिषद की आख्यानुसार श्री महादेव प्रसाद गुप्ता पिता श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता डिमेंशिया विद एड स्लीप विद आकेजनल बिहेवियरिल प्राब्लम के उपचारित केस है। इन्हें आजीवन नियमित उचार एवं देखरेख की आवश्यकता है।	बैठक में उपस्थित चिकित्साधिकारी के मतानुसार प्रश्नगत बीमारी पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 सपठित अधिसूचना दिनॉक 06 मार्च, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा प्रकरण को अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गई।
3	श्री रामहेत गौतम, सहायक अध्यापक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रीठा, नैनीताल, उत्तराखण्ड।	पत्नी गम्भीर मानसिक रोग से ग्रस्त	23.03. 1991 तदर्थ।	राज्य चिकित्सा परिषद की आख्यानुसार श्रीमती शीतला गौतम पत्नी श्री रामहेत गौतम डिप्रेशन विद साइकोटिक फीचर्स नामक रोग से ग्रसित है। इनको आजीवन देखभाल की आवश्यकता है।	बैठक में उपस्थित चिकित्साधिकारी के मतानुसार प्रश्नगत बीमारी पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 सपठित अधिसूचना दिनॉक 06 मार्च, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा प्रकरण को अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गई।
4	श्री दलेल सिंह, प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, औदली, ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड।	पत्नी मानसिक रोग से ग्रसित।	01.05. 1999	राज्य चिकित्सा परिषद की आख्यानुसार श्रीमती रत्नेश, पत्नी श्री दलेल सिंह "केस ऑफ डिप्रेशन विद साइकोटिक फीचर्स" हैं। इन्हें अकेले न छोड़ने एवं लम्बी अवधि तक उपचार एवं पारिवारिक सहयोग की आवश्यकता है।	बैठक में उपस्थित चिकित्साधिकारी के मतानुसार प्रश्नगत बीमारी पुनर्गठन समन्वय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 04 फरवरी, 2009 सपठित अधिसूचना दिनॉक 06 मार्च, 2009 से आच्छादित न होने के कारण समिति द्वारा प्रकरण को अस्वीकार किये जाने की संस्तुति की गई।